



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, 2224529 फैक्स नं०- 2224529

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-8/2016

1. निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय 02-03-2016 को अपराह्न 11.00 बजे से। 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय 04-03-2016 को अपराह्न 17.00 बजे तक। 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय: 08-03-2016 को अपराह्न 15.00 बजे तक। 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 10-03-2016 को 15.30 बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान-वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर। 7. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख ₹ में)	अग्रधन की राशि ₹ में	परिमाण विपत्र का मूल्य ₹ में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क ₹ में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रेणी (कैटेगरी)
1.	पटना जिलान्तर्गत सकुलर रोड आवास संख्या 10 में महिला सुरक्षाकर्मी हेतु पोर्टा हट कमरे का निर्माण कार्य	11.65	23300	2500	1145	3 माह	सामान्य
2.	बाँका जिलान्तर्गत बाँका जिला कारा में कैन्टीन भवन का जीर्णोद्धार कार्य	10.72	21500	2500	1145	1 माह	पिछड़ा वर्ग
3.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत केन्द्रीय कारा पूर्णियाँ में कैन्टीन का निर्माण कार्य	10.15	20300	2500	1145	2 माह	सामान्य
4.	कटिहार जिलान्तर्गत मंडल कारा कटिहार में कैन्टीन का निर्माण कार्य	12.76	25600	2500	1145	2 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
5.	पटना जिलान्तर्गत पुरानी सचिवालय परिसर में अग्निशाम हेतु 15 सिपाहियों के बैरक, शौचालय, रसोई घर एवं गैराज का विद्युतिकरण सहित अस्थाई निर्माण कार्य	32.72	65500	5000	1145	3 माह	
6.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अरियारी थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4-यू0एस0, 6-एल0एस0 आवास, चहारदिवारी एवं पहुँच पथ का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	247.54	495100	10000	5725	12 माह	
7.	दरभंगा जिलान्तर्गत बी0एम0पी0-13, दरभंगा में 300 सिपाहियों के बैरक में विद्युतिकरण कार्य	17.19	34400	5000	1145	2 माह	
8.	कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ थाना में 6 अपर सबॉर्डिनेट आवास एवं 8 लोअर सबॉर्डिनेट आवास तथा अनु0जा0/ज0जा0 एवं महिला थाना में विद्युतिकरण कार्य	18.71	37500	5000	1145	2 माह	
9.	बाँका जिलान्तर्गत जयपुर थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 6 लोअर सबॉर्डिनेट आवास एवं 4 अपर सबॉर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	223.72	447500	10000	5725	12 माह	
10.	बाँका जिलान्तर्गत बौसी थाना परिसर में ग्रेड-III थाना, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	225.67	451400	10000	5725	12 माह	
11.	मुंगेर जिलान्तर्गत बी0एम0पी0-9 परिसर में रेल पुलिस अधीक्षक आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	67.95	135900	10000	1145	12 माह	
12.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर थाना में ग्रेड-III थाना, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	217.78	435600	10000	5725	12 माह	
13.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा थाना में ग्रेड-III थाना, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	213.68	427400	10000	5725	12 माह	
14.	भागलपुर जिलान्तर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय-सह-आवासीय परिसर में चहारदिवारी को ऊँचा करने तथा मोर्चा का निर्माण कार्य	31.85	63800	5000	1145	4 माह	
15.	भागलपुर जिलान्तर्गत शहीद जुब्बा साहनी सेन्ट्रल जेल में बैरकों का जीर्णोद्धार कर कैन्टीन निर्माण एवं फनीचर आपूर्ति का कार्य	16.02	32100	5000	1145	4 माह	
16.	कटिहार जिला पुलिस केन्द्र में अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	178.89	357800	10000	5725	12 माह	
17.	सहरसा जिला पुलिस केन्द्र में अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	183.00	366000	10000	5725	12 माह	

8. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी।

9. 10 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। 15 लाख तक की निविदा में आरक्षण लागू रहेगा। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आरक्षण शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के वेबसाइट www.bpcc.co.in / वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक-02-03-2016 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।

10. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी। निर्माण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 15,000/- + 14.50 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 5,000/- + 14.50 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए ₹ 1,000/- + 14.50 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामिल कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा। निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट / डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब / निविदा अपलोड नहीं करने, ईटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यालायात / छुट्टियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

शेष परिमाण विपत्र का मूल्य शेषशुल्क बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतान दिनांक- 04-03-2016 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने उपर अंकित है, को लौटाया नहीं जायेगा।

अग्रधन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक- 08-03-2016 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। ई-निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 09-03-2016 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. नियमानुसार अंकित क्रमांक कोटिआर आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रेमाणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हें हमेशा के लिए बंचित कर दिया जाएगा।

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी। इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा।

13. (क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी। इस श्रेणी में निर्बंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में ही भाग ले सकते हैं। जो संवेदक पूर्व से निगम में निर्बंधित हैं एवं आरक्षित कोटे के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं। उन्हें पुनः निर्बंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

13. (ख) अन्य सरकारी विभाग यथा- सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निर्बंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निर्बंधन कराना अनिवार्य होगा।

14. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का वैध लाईसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कंट्रिक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा सब कंट्रिक्टर का शपथ-पत्र संलग्न करना एवं वैध लाईसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता को निविदा अमान्य मानी जायेगी। परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।

16. सभी गैर-अनुसूचित मंदों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में वित्तीय बीड अमान्य मानी जायेगी।

17. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जा सकती है।

18. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) डियार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परंतु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों।

19. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी। समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रधन की राशि छ/पाँच वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा।

नोट :- ई-निविदा-पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।